



खाद्य संकट और खाद्य सुरक्षा विश्व की दो प्रमुख समस्याएँ हैं, तथापि, हजारों सालों से इंसान द्वारा उगाई जा रही एक फसल जल्दी ही दोनों समस्याओं को खत्म कर सकती है और इसके लिए बेहद मूल्यवान मीठे पानी की भी जरूरत नहीं है। मैक्रोएलजी, जिसे सामान्यतया सीवीड कहा जाता है, एक सरटेनबल क्रॉप के रूप में तेजी से विश्व भर के लोकप्रिय हो रही है। क्योंकि, एक तो पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव कम होता है दूसरा, इसमें पोषिक तत्व भी प्रचुर मात्रा में हैं। अमेरिका में सीवीड फार्मिंग, अब सबसे तेजी से बढ़ रहा एक्वाकल्चर सेंटर है। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, न्यू इंग्लैंड और अलास्का में पानी के अंदर इसके दर्जनों फार्म हैं। वर्ष 1950 से 2019 के बीच विश्व भर में सीवीड का उत्पादन 34.7 हजार टन से बढ़कर 34.7 मिलियन टन हो गया है। यह नाटकीय वृद्धि, कॉसमेटिक्स और दूधपेस्ट से लेकर वैकल्पिक प्लास्टिक, जैसे बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ आदि में सीवीड के वृहत् उपयोग को दर्शाती है। तथापि, विश्व की भूख मिटाने में भी इसकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यू.एन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के वरिष्ठ सलाहकार विन्सेंट डुमाइज़ल, जिन्होंने हाल ही में "द सीवीड रिवोल्यूशन" किताब लिखी है, का कहना है कि, "केवल दो प्रतिशत महासागर में फार्मिंग करके हम 12 अरब लोगों की प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकते हैं।" सीवीड में प्रोटीन भारी मात्रा में है लेकिन फेट व कार्बोहाइड्रेट कम हैं और यह वाइटमिन, जिंक व आयरन से भरपूर है। उन्होंने इसे सी फॉरिस्ट की संज्ञा दी। सीवीड की 12,000 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है और सभी खाने योग्य हैं। सीवीड के तीन समूह हैं- लाल, हरा और भूरा। भूरे रंग वाले समूह में सी कैल्प शामिल हैं जो सबसे बड़ी व सबसे आम प्रकार की सीवीड है तथा अंडर वॉटर सी फॉरिस्ट में भारी तादाद में मिलती है। इतना ही नहीं, सीफॉरिस्टेशन के लिए खाद, मीठे पानी आदि की जरूरत भी नहीं होती है। डुमाइज़ल ने कहा, अगर मवेशियों को सोया की बजाए सीवीड आधारित भोजन खिलाया जाए तो मीथेन गैस के उत्सर्जन में 90 प्रतिशत कम किया जा सकता है। इसके अलावा सीवीड से खाद्य संकट से जूझ रहे लोगों को पर्याप्त पोषण दिया जा सकता है। समुद्र के तटवर्ती समुदायों के लिए भी सीवीड फार्मिंग आय का एक विकल्प है क्योंकि अब इन स्थानों पर फिशिंग कम हो रही है।

नीतीश कुमार व लालू को ढलता सूरज मान भाजपा पंख पसारने की तैयारी में जुटी

जैसा कि विदित ही है, भाजपा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तो है, पर राज्य में अभी तक पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पायी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। भाजपा और जे.डी.यू. के बीच सत्ता संघर्ष बिहार में एक निर्णयात्मक चरण में पहुँच गया लगता है।

नीतीश कुमार ने जब से चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से उनकी गठबंधन सहयोगी एवं राज्य विधानसभा में अधिक सदस्य संख्या वाली भाजपा के साथ उनकी पार्टी के समीकरण संकटपूर्ण रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत से वर्ष 1857 में स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर का किला मुक्त कराने के सम्मान में भाजपा ने गत अप्रैल माह में महा उत्सव की तैयारियों की थीं और जे.डी.यू. को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। जे.डी.यू. अपनी ओर से भाजपा को राज्य की जातिगत जनगणना जैसे पेचीदा मुद्दों पर घेरने की कोशिश करती रही है।

पर अब विस्तार का उपयुक्त समय मानते हुए, भाजपा ने प्रदेश में एक के बाद एक आम सभाएं आयोजित करने की योजना बनाई है।

किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एस.सी. मोर्चा, एस.टी. मोर्चा के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है पटना में, जिसे पार्टी अध्यक्ष नहुवा व राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष संबोधित करेंगे।

भाजपा ने प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करके, उपयुक्त जात/जाति के नेताओं को वहां की जिम्मेवारी सौंपी है।

जे.डी.यू. और लालू प्रसाद की आर.जे.डी. के बीच सम्भावित मेल मिलान की खबरों के बीच बिहार में न्यायाधीश शुभा मेहता ने मामले की सुनवाई करते हुए इस केस को अगले माह पांच तारीख को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और साथ ही कहा कि न्यायालय राज्य सरकार या किसी अन्य पार्टी को इस मामले में किसी भी कारण से स्थगन के आदेश जारी नहीं करेगा।

जैसे कि विदित है कि आर.ई.सी. स्क्रीम के तहत राज्य व केन्द्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए

विभाजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा रहा है।

इसे लोहा गर्म हो तब प्रहार किए जाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि भाजपा ने कई राज्यव्यापी मीटिंग्स की योजना बना रखी है। भाजपा ने राज्य के समूचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 28 और 29 जुलाई को दो दिवसीय "प्रवास" आयोजित करने का निर्णय लिया है।

इसके बाद पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की 30 और 31 जुलाई को दो दिवसीय संयुक्त मीटिंग होगी। पटना में आयोजित होने वाली एक मीटिंग के लिए किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एस.सी.मोर्चा, एस.टी.मोर्चा अथवा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। मीटिंग को पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और भाजपा महासचिव बी.एल. संतोष संबोधित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ई.डी. डायरेक्टर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवाकाल में गत वर्ष 17 नवम्बर को दिए गए एक साल के

ई.डी. डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को एक साल का कार्यकाल विस्तार देने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

एक्सटेंशन को चुनौती देने वाली एक याचिका को लिस्ट करने का बुधवार की निर्णय लिया। इस याचिका में एक वकील ने कोर्ट का ध्यान उसके 8 सितम्बर के एक आदेश की ओर आकृष्ट किया है जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार सिर्फ अपवाद स्वरूप ही किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जो दिखता है, वो बिकता है'

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। राहुल गांधी ने ऐसा फिर कर दिया है। एक निजी दौरे पर कथित रूप से यूरोप जाकर उन्होंने इस आम धारणा को मजबूत कर दिया है कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारियों से बचता है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे स्वयं को किस रूप में देखते हैं, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले एक नेता या एक ऐसा राजनेता जो गंभीरता से प्रयास ना करने के बावजूद सत्ता का लोभी है।

उनका नवीनतम विदेश दौरा कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को आयोजित हो रही मीटिंग से थोड़ा पहले ही हुआ है। इस मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पार्टी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में लगे राजनीतिक झटकों के बाद हो रही है। पार्टी के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उसके अध्यक्ष के विकल्प पर मंथन होने जा रहा है। यह ऐसा पद है जिसे वर्ष 2019 में लोक सभा चुनावों की हार के कारण राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी संभाले हुए हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि गुरुवार की मीटिंग के लिए पार्टी के सभी

राहुल गांधी के एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकलने से, जनता व पार्टी असमंजस में है कि, राहुल गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, व ऐसे दूल्हा जिसे विवाह में कोई रुचि नहीं।

महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है।

क्या राहुल पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उनकी गैर मौजूदगी की वजह से यह भी स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को जो बात स्पष्ट है, वह यह कि ऐसी पार्टी, जिसका चेहरा अब भी राहुल गांधी है, वह अटकलवादी की स्थिति में है और वह स्थिति चरम सीमा पर है।

जन धारणा ये है कि राहुल गांधी बिना पतवार वाले एक ऐसे जहाज का प्रतीक बन गए हैं जो अपने वर्तमान दलदल से बाहर निकलने से बार-बार इन्कार करता है। गुरुवार की मीटिंग में 2 अक्टूबर से शुरु हो रही "भारत जोड़ो यात्रा" की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। इस मीटिंग से राहुल गांधी की अनुपस्थिति से नेतृत्व के प्रश्न की अटकलों को और मसाला मिलना तय है।

भाजपा ने राहुल गांधी की हाल की

विदेश यात्राओं की आलोचना की है। इनमें मई माह की आलोचना की है। इनमें मई माह की शुरुआत में हुई एक यात्रा भी शामिल है, जब उन्हें काठमांडू के एक नाइट क्लब में देखा गया था। इसकी तस्वीरें भाजपा समर्थकों द्वारा जारी की गई थीं लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि एक पत्रकार की शादी में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने में क्या गलत है।

काठमांडू का दौरा अन्य राज्यों के अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के तुरंत बाद किया गया था। राहुल गांधी ने तब यूरोप का दौरा भी किया था। उन चुनावों से पूर्व वह दिसम्बर माह में इटली चले गए थे और जनवरी के मध्य में लौटे।

वे मई के उत्तराखण्ड में भी विदेश गये थे। इंग्लैंड के केम्ब्रिज की इस यात्रा पर भी, भाजपा नेताओं ने राजनीतिक स्वीकृति लेने के उनके इन्कार पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बालिका से रेप

श्रीगंगानगर, 13 जुलाई (कासं)। रायसिंहनगर इलाके के एक गांव में नानी के साथ स्कूल से घर लौट रही दस साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है।

रायसिंह नगर एस.एच.ओ. गणेश कुमार के अनुसार बच्ची रायसिंहनगर

दस साल की यह बच्ची अपनी नानी के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, रास्ते में वह थोड़ा आगे निकल गई तो आरोपी युवक ने उसे घर छोड़ने की बात कह कर बाइक पर बिठा लिया और स्कूल के पास खंडहर में ले जाकर रेप किया।

इलाके के एक गांव में अपनी नानी के पास आई हुई थी। वह अपनी नानी के साथ अपने भाई की टीसी लेने के लिए स्कूल में गई थी। वहां से वापस लौटने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राम सेतु

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस बात के लिये सहमत हो गया कि भाजपा नेता डॉ. सुब्रमन्यम स्वामी को उस याचिका की सुनवाई 26 जुलाई को की जायेगी, जिसमें उन्होंने केन्द्र को ऐसे निर्देश दिये

राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मसले पर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, इस पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी।

जाने की माँग की है कि वह "राम सेतु" को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करे। राम सेतु, जिसे आदम के पुल के नाम से भी जाना जाता है, लाइमस्टोन शोल्स का एक शृंखला है, जो तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्व तट के पास स्थित पम्बन द्वीप से श्रीलंका के उत्तर-पश्चिम तट के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“रिन्युएबल एनर्जी” कंपनियों को भुगतान का मामला अब सुलझेगा?

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 13 जुलाई। प्रदेश में "रिन्युएबल एनर्जी सर्टिफिकेट" (आर.ई.सी.) स्क्रीम के तहत सोलर तथा विंड मिल से अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनियों और संस्थाओं द्वारा राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर मामले का राजस्थान हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश एस.एस. श्रीवास्तव और न्यायाधीश शुभा मेहता ने मामले की सुनवाई करते हुए इस केस को अगले माह पांच तारीख को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और साथ ही कहा कि न्यायालय राज्य सरकार या किसी अन्य पार्टी को इस मामले में किसी भी कारण से स्थगन के आदेश जारी नहीं करेगा।

जैसे कि विदित है कि आर.ई.सी. स्क्रीम के तहत राज्य व केन्द्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए

तीन साल से "रिन्युएबल एनर्जी" कंपनियां सरकारी ग्रिड में बिजली दे रही थीं, परंतु इसके एवज में कोई भुगतान नहीं मिल रहा था

कई कम्पनियों और संस्थानों को प्रोत्साहित किया। इन कम्पनियों को राज्य सरकार ने अपनी अक्षय ऊर्जा को 2012-13 की नीति के तहत आश्वासन दिया था कि सभी संस्थाओं और कम्पनियों को 25 वर्ष तक सतत् लाभ यानि स्थायी "रेट ऑफ रिटर्न" पहुंचायेगी ताकि इन कम्पनियों को घाटा न हो। राज्य सरकार की अक्षय ऊर्जा नीति में समाहित था कि राज्य सरकार अगले 25 वर्ष तक इन कम्पनियों से ऊर्जा ख़ाई दर पर खरीदेगी ताकि उन्हें नुकसान ना हो।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-13 में सोलर पैनलों में बनने वाली

अक्षय ऊर्जा को मार्केट में 16 से 18 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बेचा जाता था। परंतु वर्ष 2019 के बाद से टैकोलॉजी में सुधार और सोलर पैनलों

हाई कोर्ट भी अभी तक "रिन्युएबल एनर्जी" कंपनियों और सरकार के बीच समझौता होने की संभावना पर कार्य कर रहा था और तारीखों पर तारीख दिये जा रहा था।

पर अब हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि, 5 अगस्त को इस मामले पर दो-तीन दिन लगातार सुनवाई कर अपना निर्णय देगा।

रिन्युएबल एनर्जी कंपनियों में हाई कोर्ट के इस आदेश से हर्ष और उत्साह दिख रहा है।

के निर्माण में लागत कम होने की वजह से सोलर पैनलों से बन रही अक्षय ऊर्जा की प्रति यूनिट दर में भारी गिरावट आई। यहां तक कि 2019 में राज्य सरकार को "ओपन टैण्डरों" में "सोलर फार्म" में 2.86 रुपये प्रति यूनिट की दर पर उर्जा मिल रही थी।

"सोलर तथा विंड मिल से निर्मित ऊर्जा "ओपन मार्केट" में सस्ते दामों में मिल रही थी इस लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में आर.ई.सी. स्क्रीम के तहत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर चुकी कंपनियों से नया "पावर परचेज एग्रीमेंट" (पी.पी.ए.), यानि अक्षय ऊर्जा खरीदने की नयी दर, तय करना

चाहती थी। परंतु समझौते नहीं होने के कारण सरकार आर.ई.सी. स्क्रीम के तहत निवेश कर चुकी करीब 108 प्राईवेट तथा सरकारी संस्थाओं व कंपनियों पिछले तीन साल से बिजली उत्पादन के लिए कोई पैसा नहीं दे रही है।

वर्ष 2019 से इन 108 कंपनियों ने हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर कर रखी थीं, क्योंकि सरकारी ग्रिड में बिजली डालने के बाद भी उन्हें सरकार पैसा नहीं दे रही है।

मंगलवार को भी राज्य सरकार ने कहा कि सरकार और सभी 108 संस्थाओं या कंपनियों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार की ओर से महाधिक्ता ने कहा कि राज्य सरकार आर.ई.सी. स्क्रीम के तहत सौर उर्जा बनाने वाली कंपनियों को 2.24 रुपये प्रति यूनिट की दर पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)